उपलब्धता के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किया जाता है । देश भर में 1992-93 के लिए वृक्षारोपण के अंतर्गत 1.064 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तथा 145 करोड़ पौधों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वृक्षारोपण के लिए निर्धारित स्थान प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न होते हैं और इनके चुनाव का निर्णय जिला स्तर तर भूमि, निधियों की उपलब्धता और स्थानीय स्थल की परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है ।

(ग) ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों का रोपण देश में कार्यान्वित किए जा रहे अधिकांश वृक्षारोपण कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है । विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अंतर्गत ईंधन की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के वृक्षों के साथ-साथ अन्य पौधों जैसे फलदार वृक्षों, औषधीय वृक्षों तथा फली एवं घास के पौधों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है ।

Misappropriation of JRY funds in Andhra Pradesh

1333. SRI V. HANUMANTHA RAO : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have received any reports of misuse of Jawahar Rozgar Yojana funds in Andhra Pradesh;

(b) what is the mechanism to supervise proper utilisation of JRY funds; and

(c) whether any official team of the Ministry has visited Andhra Pradesh for on-the-spot study for proper utilisation of JRY funds ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) A few complaints have been received regarding misuse of JRY funds. The same have been referred to the State Government for appropriate remedial action.

(b) The system of checks and balances is built into the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) programme so that misutilisation of funds does not take place. The resources under JRY allocated to the village panchayats are kept in a bank account or a post office account in the joint names of the Sarpanch and another member nominated by the panchayat. Every drawal from the bank is required to be authorised in the meeting of the village panchayat. Since JRY is implemented by about 2.20 lakh village panchayats all over the country, the State Govts. have drawn up a programme of inspection of these works by senior officers., from the State/District/Block level who are required to inspect the work in the villages/districts at a frequency decided by the State Level Coordination Committee. Monthly and quarterly reports are prescribed for a regular flow of information from the districts to the State & Central level so that both the State and Central Governments can moniter the performance of the programme periodically.

(c) Officers from the Ministry visit the States to review the progress of the Yojana, they issue on-the-spot instructions, if considered necessary. During the current financial year, Secretary (RD) visited Andhra Pradesh in May, 1992 and August, 1992. The Additional Secretary (RD) also accompanied the MOS (RD) during his visit to Andhra Pradesh from 19-2-93 to 21-2-93. Joint Secretary (RE) visited Andhra Pradesh in the 1st week of November, 1992.

बिहार के नालंदा जिले में पेयजल की कमी

1334. **श्री गया सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालंदा जिले के कम से कम 20 से 25 ग्राम पंचायतों के अधिकांश गांवों में तथा अन्य 20 से 25 ग्राम पंचायतों के कुल गांवों में से लगभग आधे गांवों में भी इस समय पीने का पानी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या सरकार इस मामले की तत्काल जांच करने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) नालन्दा जिले के अधिकांश गांवों में पेयजल के उपलब्ध न होने के बारे में बिहार सरकार अथवा किसी अन्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । बिहार में सभी समस्याग्रस्त गांवों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास की योजनाएं

1335. **श्री गया सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास हेतु कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) बिहार सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इनमें से अलग-अलग रूप से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिला सहित सभी ग्रामीण जिलों में चलाए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दी गई सबसिडी और बैंक ऋण की सहायता से आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर चयन किए गए गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है । जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना है । जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा निचले स्तर पर खण्डों/ग्राम पंचायतों द्वारा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि	
	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना
1989-90	112.76	639.36
1990-91	78.74	568.57
1991-92	112.43	495.93
1992-93	53.05	480.24

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं । त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का जिलावार आबंटन उनकी राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है । वर्ष 1989-90 से 1992-93 के दौरान बिहार को कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि
1989-90	2712
1990-91	2033
1991-92	3132
1992-93	1847